न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर
अजमेर न्यायक्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	**–**	**डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. संख्या	**–**	**5639/2014**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	**–**	**132/2011**
एफ. आई. आर. संख्या	**–**	**138/2010**
सीएनआर संख्या	**–**	**RJAJ220000562011**
आरक्षी केन्द्र	**–**	**पुष्कर**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर।

.....अभियोगी

बनाम

1. हरजी पुत्र नाथू, निवासी ग्राम गनाहेड़ा, पुलिस थाना पुष्कर, जिला अजमेर।
2. प्रेमसिंह पुत्र लल्लूसिंह, निवासी ग्राम गनाहेड़ा, पुलिस थाना पुष्कर, जिला अजमेर।

.....अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 120–बी, 167, 201 व 420 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–
अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
श्री मदनलाल सांखला, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त संख्या 1.
श्री मुनेश तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त संख्या 2.

–:प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:–

अपराध की तिथि	12.05.2009
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	01.09.2010
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	04.05.2011
आरोप सुनाए जाने की तिथि	25.07.2015
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	12.10.2017
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	09.03.2026
निर्णय की तिथि	09.03.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

authentication document

–:अभियुक्त का विवरण:–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
1.	हरजी	–	–	120–बी, 201 व 420 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त		
2.	प्रेमसिंह	–	–	120–बी, 167 व 420 भारतीय दण्ड संहिता			

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	औंकारदास	परिवादी
पीडब्ल्यू–2	चिरंजीलाल	परिवादी
पीडब्ल्यू–3	मांगीलाल	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू–4	बदामीदेवी	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू–5	राजेश भोगावत	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू–6	चैनाराम	ड्यूटी ऑफिसर
पीडब्ल्यू–7	गिरधारी	औपचारिक गवाह

पीडब्ल्यू–8	राजवीरसिंह	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू–9	राजाराम	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू–10	रामपाल	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू–11	दिनेश कुमावत	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू–12	श्यामसुन्दर वैष्णव	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू–13	महावीर	औपचारिक गवाह

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	परिवाद	प्रदर्श पी–1
2	पुलिस बयान बदामी	प्रदर्श पी–2
3	तितम्बा बयान बदामी	प्रदर्श पी–3
4	पुलिस बयान राजेश	प्रदर्श पी–4
5	तितम्बा बयान राजेश	प्रदर्श पी–5
6	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–6
7	जवाब नोटिस अंतर्गत धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता	प्रदर्श पी–7
8	मौका पर्चा	प्रदर्श पी–8
9	जमाबंदी	प्रदर्श पी–9
10	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी–10, 11
11	कार्यालय ग्राम पंचायत गनाहेडा पंचायत समिति पीसांगन का पत्र	प्रदर्श पी–12
12	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला	प्रदर्श पी–13
13	पुलिस थाना पुष्कर द्वारा प्रेमसिंह को दिया गया पत्र	प्रदर्श पी–14
14	धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस ग्राम पंचायत गनाहेडा पंचायत समिति पीसांगन द्वारा पुलिस थाना पुष्कर को दिया गया पत्र	प्रदर्श पी–15
15	कैशबुक	प्रदर्श पी–16
16	बैठक की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–17 से 21

17	रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–22
18	रजिस्ट्री के समय पेश किए गए दस्तावेजात	प्रदर्श पी–23 से 28

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
1.	पुलिस बयान	प्रदर्श डी–1

निर्णय दिनांक: 09.03.2026

01– इस प्रकरण का उद्भव परिवादीगण की ओर से दिनांक 10.08.2010 को अभियुक्तगण हरजी व प्रेमसिंह के विरुद्ध धारा 120–बी, 420, 467, 468, 471 व 474 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में परिवाद प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 09 दिनांक 06.01.2026 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02– प्रकरण के संक्षिप्त एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादीगण ओंकारदास व चिरंजीलाल ने अभियुक्तगण हरजी व प्रेमसिंह के विरुद्ध परिवाद अंतर्गत धारा 120–बी, 420, 467, 468, 471 व 474 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में प्रस्तुत कर मुख्य रूप से अभिकथन किया गया कि परिवादीगण व उसका परिवार ग्राम गनाहेडा में अपने पूर्वजों के समय से ही स्थायी रूप से निवासी है तथा परिवादीगण व उसके परिवार की कब्जाशुदा पुश्तैनी रिहायशी मकान मय चार दीवारी किया बाडा संपत्ति गनाहेडा जिला अजमेर में ठाकुर जी के मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित है, जिसकी सीमाएं परिवाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित है। परिवादी व उसका परिवार उक्त सम्पति/बाडा का उपयोग व उपभोग निरन्तर पुश्तैनी पूर्वजों के समय से ही करता आ रहा है तथा अभियुक्तगण को परिवादी की उक्त कब्जाशुदा पुश्तैनी उक्त पडौस व सीमाओं के मध्य में स्थित सम्पति व बाडा की पूर्ण व भलीभांति जानकारी थी। परिवादी की उक्त पडौस व सीमाओं के मध्य स्थित सम्पत्ति/बाडा को छलपूर्वक व बेईमानी पूर्वक हडपनें की नीयत से अभियुक्त संख्या 01 व 02 ने एक मिथ्या व फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर कूटरचना की तथा कूटरचित प्रमाण पत्र के कूटरचित मिथ्या व फर्जी होना ज्ञात होने के बावजूद प्रमाण पत्र को असल के रूप में काम में लेते हुये परिवादी की कब्जाशुदा, पुश्तैनी बेशकिमती व मूल्यवान उक्त निर्मित सम्पत्ति व बाडा का एक कूटरचित पंजीकृत बैनामा यह जानते हुये कि वह फर्जी व कूटरचित दस्तावेज पर आधारित है, फिर भी दिनांक 12.05.2009 को बेईमानी व छलपूर्वक परिवादी की कब्जाशुदा सम्पति/बाडा को हडपनें की नीयत से आरोपी संख्या 1 ने आरोपी संख्या 2 के पक्ष में परिवादी को क्षति कारित करने की नीयत से तैयार कर निष्पादित किया गया तथा आरोपी संख्या 3 व 4 को यह जानकारी होते हुए भी कि उक्त सम्पति परिवादी व उसके परिवार की कब्जाशुदा पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा अरोपीगण की नही है, फिर भी बतौर साक्षी के रूप में सम्पति की पहचान व केता–विक्रेता की

पहचान करते हुए साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर किये तथा परिवादी की उक्त सम्पति के बाबत के कूटरचित दस्तावेज रचने में पूर्ण सहयोग किया तथा कूटरचित पंजीकृत प्रमाण पत्र व बैनामा को असल के रूप में काम में लिया गया। आरोपीगणों ने परिवादी की उक्त पडौस एवं सीमाओं के मध्य स्थित उक्त कब्जाशुदा पुश्तैनी सम्पत्ति व बाडा के लिये दिनांक 12.05.2009 को कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत बैनामा मे उक्त सम्पति का स्वंय का मालिक होना व काबिज होना मिथ्या व कूटरचित फर्जी रूप से अंकित किया गया तथा उक्त भूखण्ड व सम्पति मे कोई निर्माण नही होना फर्जी रूप से व कुटरचित रूप से अंकित कर कूट रचना कर गैर कानूनी कृत्य किया गया। दिनांक 22.03.2004 के कूटरचित प्रमाण पत्र में भी स्वामित्व का फर्जी अकंन कर परिवादी की कब्जाशुदा पुश्तैनी सम्पति को हडपने का गम्भीर कृत्य किया गया। आरोपी सं. 1 से 4 स्वजातीय एवं नजदीकी नातेदार व रिश्तेदार ही है, जिन्हे एक दूसरे को उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने की पूर्ण व भली–भांति जानकारी होने पर भी उक्त चारो ने उक्त गैर कानूनी कृत्य को संयुक्त रूप से मिलकर किया जाकर उपरोक्त कूटरचित दस्तावेज रचकर उन्हे अपने कब्जे में रखकर असल के रूप में काम में लिया गया तथा कूटरचित एवं फर्जी रूप से परिवादी की कब्जाशुदा पुश्तैनी उक्त सम्पत्ति के स्वामी बनने का अविधिक कृत्य किया गया। आरोपीगण परिवादी व उसके परिवार को उक्त दिनांक 22.03.2004 के फर्जी रूप से कूटरचित प्रमाण पत्र एवं बैनामा के आधार पर मौके पर आकर बेदखल करने एवं जबरन कब्जा कर निर्माण करने की धमकी दी तथा कब्जा करने का प्रयास किया गया तब परिवादी ने उक्त बैनामा एवं प्रमाण पत्र की जानकारी कर नकलें प्राप्त की, जिसमें बैनामा की सत्यप्रतिलिपि में उल्लेखित प्रमाण पत्र की प्रमाणित नकल मय पत्रावली अन्य दस्तावेज कार्यालय ग्राम पंचायत गनाहेडा से लेने हेतु लिखित में प्रार्थना पत्र परिवादी के पुत्र द्वारा पंचायत में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कार्यालय ग्राम पंचायत गनाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक जी.पी.जी./2009–10/ एस.पी.–1 दिनांक 16.06.2009 के द्वारा लिखित उत्तर में सूचना दी कि दिनांक 22.03.2004 को श्री हरजी रावत पुत्र नाथू रावत के प्रमाण पत्र व उक्त बाबत की पत्रावली के दस्तावेज के संबंध में पंचायत कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। इस प्रकार दिनांक 22.03.2004 को हरजी रावत पुत्र श्री नाथू रावत के नाम पर बनाया गया प्रमाण पत्र कूटरचित होना स्वतः स्पष्ट है तथा उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर निष्पादित बैनामा भी कूटरचित साबित है तथा आरोपी संख्या 3 पुनः क्रयनामा के आधार पर आरोपी संख्या 5 को बचान कर दी। आरोपी संख्या 1 हरजी के नाम उल्लेखित एवं कूटरचित रूप से तैयार किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 22.03.2004 के संबंध में ग्राम पंचायत गनाहेडा के रिकार्ड में किसी तरह की कोई पत्रावली या मिसल पत्रावली तथा उक्त के संबंध में किसी तरह का कोई रिकार्ड दस्तावेज नहीं है और ना ही प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आरोपी संख्या 1 हरजी द्वारा कोई आवेदन पत्र ग्राम पंचायत गनाहेडा में प्रस्तुत किया गया हो, रिकार्ड में किसी तरह का दस्तावेज नहीं है। उक्त आरोपी संख्या 1 हरजी के नाम प्रमाण पत्र जारी करने के लिये ग्राम पंचायत गनाहेडा ने ग्राम पंचायत की साधारण सभा/बैठक तथा ग्राम सभा में भी किसी तरह का कोई प्रस्ताव एजेण्डे में शामिल नहीं किया है और ना ही ग्राम पंचायत के द्वारा कोई प्रस्ताव बैठक / साधारण सभा तथा ग्राम सभा में पारित करवाया व किया गया है। ना ही प्रस्ताव पारित कर

authentication document

प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा ना ही उक्त प्रमाण पत्र आरोपी संख्या 1 हरजी के नाम जारी करने हेतु किसी तरह की कोई कमेटी का गठन किया गया है और ना ही ग्राम पंचायत के द्वारा किसी तरह का कोई मौका पर्चा बनाया गया है तथा आरोपी संख्या 1 हरजी ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रमाण पत्र बनाने हेतु किसी तरह का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा पंचायती राज अधिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत भी उक्त प्रकार का प्रमाण पत्र बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार उक्त 22.03.2004 का आरोपी संख्या 1 हरजी के नाम रचित उक्त प्रमाण पत्र कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज है, जिसे उक्त आरोपीगणों द्वारा परिवादी की उक्त सम्पत्ति व बाडा को बेईमानी पूर्वक हडपने की नीयत से उक्त कूटरचित प्रमाण पत्र की रचना की गई है। परिवादी ने उक्त मामलें में आरोपीगणों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के लिये पुलिस थाना, पुष्कर में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस थाना पुष्कर ने कोई कार्यवाही आरोपीगणों के विरूद्ध नही की। इस पर परिवादी ने पुलिस अधीक्षक, अजमेर को भी इस सम्बन्ध में शिकायत की थी, लेकिन फिर भी आरोपीगणों के विरूद्ध कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई, ना ही आज दिंनाक तक इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर किसी तरह की कार्यवाही की गई है। इस कारण परिवादी को यह परिवाद न्यायालय के समक्ष आरोपीगणों के विरूद्ध कार्यवाही कराने के लिये प्रस्तुत करना पड रहा है। उक्त प्रकरण में परिवादी के विरुद्ध उपयोग में लाये जा रहे कूटरचित असल दस्तावेज आरोपीगणों के कब्जे में है, जिन्हे पुलिस अनुसंधान से ही प्राप्त किया जा सकता है। आरोपीगणों द्वारा अपराध न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कारित किया गया है तथा परिवादी की उक्त संपत्ति/बाडा ग्राम गनाहेडा, पुलिस थाना पुष्कर के क्षेत्र में स्थित है, इस कारण न्यायालय को इस परिवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार है। अंत में उक्त परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना पुष्कर को भेजकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान कर उपरोक्त आरोपीगणों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया।

03– उक्त परिवाद को न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस थाना पुष्कर को प्रेषित किया गया, जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 138/2010 अपराध अंतर्गत धारा 120–बी, 420, 467, 468, 471 व 474 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त हरजी के विरुद्ध धारा 120–बी, 201 व 420 भारतीय दण्ड संहिता में एवं अभियुक्त प्रेमसिंह के विरूद्ध धारा 120–बी, 167 व 420 भारतीय दण्ड संहिता आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्त हरजी के विरुद्ध धारा 120–बी, 201 व 420 भारतीय दण्ड संहिता में एवं अभियुक्त प्रेमसिंह के विरूद्ध धारा 120–बी, 167 व 420 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 25.07.2015 को अभियुक्त हरजी को अपराध अंतर्गत धारा 120–बी, 201 व 420 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप एवं अभियुक्त प्रेमसिंह को अपराध अंतर्गत धारा 120–बी, 167 व 420 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

06– तत्पश्चात् अभियुक्तगण का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को झूठा बताते हुए कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

07– बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्तगण के धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बंध पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किये गए।

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है किः–

''क्या, अभियुक्त हरजी ने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए दिनांक 12.05.2009 को परिवादीगण की ग्राम गनाहेडा में उनके पूर्वजों के समय से स्थित मकान, जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में ठाकुरजी महाराज का मंदिर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में कुन्दर राजपूत का बाडा व मकान है, को आपराधिक षडयंत्र रचकर षडयंत्रपूर्वक फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कर विक्रय पत्र बस्ताराम के नाम उप–पंजीयक, पीसांगन के यहां पंजीयन कराया, जबकि इस प्रकार से अभियुक्त ने अपने आपको दोषपूर्ण लाभ पहुंचाने व परिवादी को दोषपूर्ण हानि पहुंचाने की नीयत से परिवादी के साथ छल करते हुए उक्त दस्तावेज अपने पक्ष में निष्पादित करवाया और फर्जी तरीके से तैयार करवाया गया मूल स्वामित्व प्रमाणपत्र दिनांक 27.12.2010 से पूर्व किसी समय आग में जलाकर नष्ट करके साक्ष्य को विलोपित करने का अपराध किया? "

"क्या अभियुक्त प्रेमसिंह ने अन्य अभियुक्त हरजी के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए दिनांक 12.05.2009 को परिवादीगण की ग्राम गनाहेडा में उनके पूर्वजों के समय से स्थित मकान, जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में ठाकुरजी महाराज का मंदिर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में कुन्दर राजपूत का बाडा व मकान है, को आपराधिक षडयंत्र रचकर षडयंत्रपूर्वक फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कर विक्रय पत्र बस्ताराम के नाम उप–पंजीयक, पीसांगन के यहां पंजीयन कराया, जबकि इस प्रकार से अभियुक्त ने अपने आपको दोषपूर्ण लाभ पहुंचाने व परिवादी को दोषपूर्ण हानि पहुंचाने की नीयत से परिवादी के साथ छल करते हुए उक्त दस्तावेज अपने पक्ष में निष्पादित करवाया और हरजी के साथ मिलकर उपरोक्त वर्णित संपत्ति को सरपंच के पद पर रहते हुए दिनांक 22.03.2004 हरजी पुत्र नाथू रावत को मिथ्या स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी कर पद का दुरूपयोग किया?

यदि हाँ तो अभियुक्तगण किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है? ”

09– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की लिप्तता को प्रकट करे। अंत में, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु 13 साक्षीगण को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्नप्रकार है:–

साक्षी **पीडब्ल्यू 01 औकांरदास** ने शपथ पर कथन किए कि वह गांव में मंदिर में पूजा पाठ करता है। गनाहेड़ा के चारभुजा मंदिर में पुजारी है। उनके पूर्वजों ने यह मंदिर बनाया था। वह मंदिर में कई सालों से पूजा कर रहा है। वह चार भाई थे और उनकी बारी बारी से पूजा की बारी आती है। उसके परिवार सहित मंदिर में ऊपर रहता है, क्योंकि वह मंदिर के ऊपर का हिस्सा उसके हिस्से में आया है। मंदिर के पूर्व में उसके पास उनका बाड़ा था, जिसमें वे गायें बांधते हैं, जिस पर तब से उनका कब्जा है स्वतः कहा कि जमीन मंदिर की है और कब्जा उनका है। उनका बाड़ा खुला था, जिसमें उन्होंने मिट्टी की चारदीवारी बना रखी थी। उसने हार्ट की तकलीफ होने से वह ईलाज कराने जयपुर चला गया, उसके पीछे से हरजी पुत्र नाथू, प्रेम सिंह, शंकर ने मिलकर उसके बाड़े का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर उसे बेच दिया। पहले उसकी रजिस्ट्री पीसांगन करवाई फिर अजमेर करवाई। बाड़मेर के बस्ताराम को जमीन बेची थी, जब वह काम करने लगा तो उसे पता चला कि उसकी कब्जे की जमीन बेच दी गई है। उस बाड़े में उसके पट्टियां, ईंट–पत्थर पड़े थे, उसी को काम में लेकर मकान बनाया जा रहा था। उसके सामान से बाड़े में मकान बनाने पर उसने उन्हें टोका तो उसे पता चला कि उक्त कब्जे की जमीन को बेच दिया गया है, फिर उसने पुलिस में रिपोर्ट की तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, जिस कारण उसे कोर्ट में परिवाद पेश करना पड़ा। पंचायत से प्रेम सिंह के हस्ताक्षर फर्जी कागज बनाए थे। परिवाद प्रदर्श पी–1 है, जिस पर प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। परिवाद पत्र 5 पृष्ठों में पेश किया गया था। उक्त घटना लगभग 7–8 साल पूर्व घटित हुई थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि मंदिर उनका निजी है, सार्वजनिक नहीं है। उक्त मंदिर व इसकी संपत्ति के स्वामित्व के कोई दस्तावेज नहीं है। उसके पूर्वजों के पास रहे हो तो उसे पता नहीं, स्वतः कहा कि पहले कागज होते ही नहीं थे। उसका कोई बुजुर्ग जीवित नहीं है। यह कहना गलत है कि हरजी ने शंकर को प्लॉट बेचा, उसकी जानकारी हो। यह सही है कि इस संपत्ति के बाबत उसने दो दावे कर रखे है। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा किया गया प्रथम वाद हरजी व शंकर के विरूद्ध किया हो एवं उसमें बस्ताराम पक्षकार नहीं हो। यह सही है कि उक्त वाद में उसके द्वारा पेश प्रार्थनापत्र को बाद सुनवाई खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील श्रीमान ए.डी.जे. संख्या–5 अजमेर में लंबित है। यह कहना गलत है कि शंकर ने खरीद के बाद बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कराया हो। यह सही है कि उक्त प्लॉट पर बस्ताराम मकान बनाकर रह रहा है। उसने तथा कथित स्वामित्व प्रमाणपत्र कभी नहीं देखा। यह सही है कि उसने पुलिस की जांच के

दौरान कोई स्वामित्व प्रमाणपत्र, ग्राम पंचायत का पत्र नहीं दिया। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये। प्रदर्श डी–1, धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान है, जिसका ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं बताया। यह पुलिस ने अपनी मर्जी से लिखे हो तो उसे पता नहीं। पुलिस ने वादग्रस्त बाडे का कोई नक्शा मौका नहीं बनाया। वह पांचवी पास है। परिवाद के पैरा संख्या 6 में जिन प्रमाणपत्र का अंकन है, वह प्रमाणपत्र उसने कभी नहीं देखा और ना ही प्रमाणपत्र से संबंधित कोई दस्तावेज देखे। उक्त मद मं जो दिनांक दर्शायी गयी है, वह सिविल दावे में मुलजिमान द्वारा दिये गये जवाब के आधार पर दर्शायी गई है। यह सही है कि उक्त परिवाद व सिविल वाद पेश करने से पूर्व बस्ताराम ने निर्माण कार्य कर लिया था, स्वतः कहा कि स्टे के बावजूद भी काम करता रहा। वह परिवाद में वर्णित शंकर पुत्र सवाई व सांवर पुत्र जगमाल को नहीं जानता है। इन लोगों ने क्या किया, इसकी उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी–1 में इनक नाम क्यों लिखे, उसे पता नहीं है। प्रदर्श पी–1 उसने नहीं पढा था इसलिए नहीं बता सकता कि इनके नाम क्यो लिखे। प्रदर्श पी–1 परिवाद में प्रेमसिंह का नाम ना तो लिखाया था और ना ही उस पर कोई आक्षेप लगाया था। यह कहना गलत है कि विवादित भूमि आबादी भूमि है, स्वतः कहा कि उक्त भूमि सरकारी है, जिस पर उसका कब्जा बुजुर्गों के समय से चला आ रहा है। यह सही है कि उसका एक बेटा पटवारी है। वह सरकारी व आबादी भूमि में समझता है। उसका बाडा किस खसरा नंबर की जमीन में है, उसे पता नहीं है। उसे स्वामित्व प्रमाणपत्र एवं बेचान की जानकारी होने के कितने समय बाद कार्यवाही की, उसे जानकारी नहीं है। उसका जो बाडा वह बता रहा है, उसकी लम्बाई व चैडाई का नाप उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि परिवाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित सीमाओं के मध्य का भूखण्ड उसका नहीं हो। यह सही है कि इसके स्वामित्व का कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है। यह सही है कि आबादी भूमि से संबंधित सभी कार्यवाही ग्राम पंचायत करती है। यह सही है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने उसके भूखण्ड का फर्जी पट्टा नहीं बनाया, स्वतः कहा कि प्रेमसिह ने पट्टा बनाया, जिसे उसने नहीं देखा। यह कहना गलत है कि ना तो मंदिर उसका निजी हो। यह कहना भी गलत है कि शंकर पुत्र मंगला का प्लॉट जो मंदिर के लगता हुआ है, उसे हडपने के लिए उसने झूठा मुकदमा किया हो। यह सही है कि उक्त भूखण्ड से संबंधित कोई दस्तावेज उसने अनुसंधान अधिकारी को नहीं दिया।

साक्षी **पीडब्ल्यू 02 चिरंजीलाल** ने शपथ पर कथन किए कि वह गनाहेड़ा में ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करता है। यह मंदिर में उनके पूर्वजों के समय से ही वे उसमें पूजा–पाठ करते हैं। मंदिर परिसर के पास ही उसका मकान है। उसके घर के पास ही कब्जे का बाड़ा है, जिसमें वे गाय भैंस बांधते थे। यह संपत्ति बुजुर्गों के मध्य से उनके कब्जे में है। उक्त खाली प्लॉट उसके व उसके चाचा औंकारदास का शामलाती है। वे दोनों ही उसमें पशु बांधते थे। प्रेम सिंह, मदन ने उक्त संपत्ति के फर्जी स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाकर हरजी पुत्र मंगला, शंकर पुत्र नाथू को दिया, जिस पर उन दोनों ने रजिस्ट्री करवाकर एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसका बेचान कर दिया। उसके बाड़े पर कब्जा कर लिया वे थाने पर गए फिर उन्होंने कोर्ट में परिवाद पेश किया। परिवाद जो उसके द्वारा न्यायालय में पेश किया गया जो 5 पृष्ठों में है, प्रदर्श पी–1 है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण

द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–1 में पूर्व सरपंच प्रेमसिंह का नाम नहीं है। जिस मंदिर का हम अपना बता रहे है, उसक कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है। इस मंदिर में गांव के लोग भी दर्शन करने आते है। विवादित बाडे के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज इसके पास नहीं है। वह जिस बाडे को अपना बता रहा है, उसकी नाप व सीमा का उसे ज्ञान नहीं है। यह सही है कि उक्त विवादित बाडे का प्रमाणपत्र शंकर के नाम पर है। यह सही है कि उक्त संपत्ति बाबत उन्होंने दो दावे कर रखे है, जिसकी स्टे की अर्जी खारिज होने के बादद उसकी अपील उन्होंने श्रीमान ए.डी.जे.संख्या 5 अजमेर में कर रखी है। यह सही है कि विवादित भूखण्ड पर बस्ताराम मकान बनाकर निवास कर रहा है। यह सही है कि बस्ताराम द्वारा मकान बनाने के बाद उन्होंने फौजदारी व दीवानी कार्यवाही की, स्वतः कहा कि मकान बनने के दौरान ही दावा कर दिया था। जिस स्वामित्व प्रमाणपत्र के बारे में वह बता रहा है, उसे उसने नहीं देखा, स्वतः कहा कि पंचायत ने स्वय कहा कि उक्त प्रमाणपत्र फर्जी है, जिसका रिकॉर्ड पंचायत में नहीं है। यह सही है कि उन्होंने अनुसंधान अधिकारी को विवादित भूखण्ड बाबत कोई दस्तावेज नहीं दिये और ना ही पुलिस ने उसका नक्शा मौका बनाया था। उसे दिनांक 12.05.2009 का प्रमाणपत्र बनाने बाबत पंचायत ने बताया था, फिर कहा कि उन्होंने जो दावा किया, उसमें शंकर द्वारा जो जवाब पेश किया, उससे उनकी जानकारी में आया कि प्रमाणपत्र दिनांक 12.05.2009 को बनाया गया था। वह, शंकर व सांवर को नहीं जानता है। प्रदर्श पी–1 में शंकर व सांवर के नाम क्यों लिखे है, उसे पता नहीं, स्वतः कहा कि ये गवाह होगे। ये लोग कभी मौके पर नहीं आये थे। प्रदर्श पी–1 में उसके चाचा के लडके दिनेश के कहे अनुसार लिखाया था। उसके पुलिस बयान हुए थे। वर्ष 2004 में इस भूखण्ड बाबत कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, स्वतः कहा कि वर्ष 2004 में प्रेमसिंह ने फर्जी प्रमाणपत्र बनाया था, जिसकी फोटोकॉपी उसने देखी थी, असल प्रति नहीं देखी थी। उसने कभी प्रेमसिंह को लिखते, पढते व हस्ताक्षर करते नहीं देखा। यह सही है कि शंकर भूखण्ड पर चारदीवारी बनाकर, फिर वह उसे डरा–धमका रहा था और कुल्हाडी से मारने की धमकी दे रहा था। यह गलत है कि मंदिर के आसपास रावत समाज के मकानात हो, स्वतः कहा कि रावतों के मकान मंदिर के सामने है। दिनांक 16.06.2009 को उसने थाने पर रिपोर्ट दी थी। यह कहना गलत है कि उक्त भूखण्ड पर उनका कब्जा नहीं रहा हो। यह भी गलत है कि उक्त बाडा उनके कब्जे में ना हो, इसलिए उनके पास उसक दस्तावेज ना हो। यह कहना गलत है कि उक्त भूखण्ड को हडपने के लिए झूठा मुकदमा किया हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू 03 मांगीलाल** ने शपथ पर कथन किए कि वह गनाहेड़ा का रहने वाला है तथा 2010 में उसकी पत्नी बादामी देवी सरपंच थी। उनके गांव गनाहेड़ा में ही ठाकुर जी के मंदिर के पास एक खाली प्लॉट था, जो कि सार्वजनिक संपत्ति थी और उस पर किसी का अधिकार नहीं था, जो कि आबादी क्षेत्र के खसरा नंबर 1912 के अंतर्गत आया हुआ था। उक्त प्लॉट पर ग्राम पंचायत गनाहेड़ा के तत्कालीन सरपंच प्रेम सिंह चौहान ने हरजी पुत्र नाथू रावत, निवासी–गनाहेड़ा से मिलीभगत करके दिनांक 22.03.2004 को हरजी के नाम से स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जबकि उनका गांव गनाहेड़ा, पुष्कर कस्बे में होने के कारण पेराफेरी में आया हुआ था, इसमें सरपंच को प्रमाण पत्र व पट्टा बनाने का कोई अधिकार नहीं

था। उस समय के सरपंच प्रेम सिंह ने नियम के विरूद्ध जाकर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया और सरपंच ने पद का दुरूपयोग करके हरजी से मिलकर आबादी क्षेत्र का फर्जी स्वामित्व पत्र जारी करके धोखाधड़ी की है और सरपंच प्रेम सिंह ने अपने सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुए हरजी से मिलकर नियम विरूद्ध प्रमाण पत्र जारी किया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पंचायत गनाहेडा से स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी किए जाते रहे है। वह ग्राम पंचायत में कभी भी किसी पद पर पदासीन नहीं रहा, इसलिए उसने ग्राम पंचायत का कोई रिकॉर्ड व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, अजखुद कहा कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड ग्राम सेवक के पास रहता है। प्रेमसिंह सरपंच के कार्यकाल में क्या–क्या कार्यवाही हुई, उसकी जानकारी में नहीं है। प्रेमसिंह ने सही काम किया या गलत काम किया, उसकी जानकारी में नहीं है, अजखुद कहा कि उसे तो जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसने पुलिस को प्रेमसिंह की धोखाधडी के बारे में नहीं बताया था। दिनांक 22.03.2004 को ग्राम पंचायत द्वारा क्या कार्यवाही की गई, उसकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि उस समय उसका ग्राम पंचायत से कोई संबंध नहीं था।

साक्षी **पीडब्ल्यू 04 बदामी** ने शपथ पर कथन किए कि घटना की दिनांक उसे आज याद नहीं है, खसरा नंबर उसे याद नहीं है, क्योंकि वह पढी लिखी नहीं है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि पुलिस में उसके बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–2 व 3 का ए से बी भाग उसने पुलिस को क्या लिखाया, उसे याद नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि पुलिस ने केवल उसके नाम व पते पूछे और कुछ नहीं पूछा।

साक्षी **पीडब्ल्यू 05 राजेश भोगावत** ने शपथ पर कथन किए कि घटना की दिनांक उसे आज याद नहीं है, खसरा नंबर उसे याद नहीं है, क्योंकि वह पढा लिखा नहीं है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि पुलिस में उसके बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 व 5 का ए से बी भाग उसने पुलिस को क्या लिखाया, उसे याद नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि पुलिस ने केवल उसके नाम व पते पूछे और कुछ नहीं पूछा।

साक्षी **पीडब्ल्यू 06 चेनाराम** ने शपथ पर कथन किए कि वह दिनांक 01.09.2010 को पुलिस थाना पुष्कर पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस रोज माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर द्वारा धारा 156 (3) सीआरपीसी का इस्तगासा जरिये डाक द्वारा थाने पर प्राप्त हुआ, जिस पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसके द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रकरण धारा 420, 467, 468, 471, 474, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, मुकदमा संख्या 138/10 में दर्ज कर अनुसंधान रामपाल एएसआई के जिम्मे किया। धारा 156 (3) सीआरपीसी का परिवाद प्रदर्श पी–1 है जिस पर ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित कर जी से एच उसके हस्ताक्षर है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी–6 है जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त

साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि उसे आज याद नहीं है कि इस परिवाद से पूर्व कोई रिपोर्ट इस संबंध में थाने पर आयी हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू 07 गिरधारी** ने शपथ पर कथन किए कि वह पुष्कर बस स्टेण्ड सरकारी अस्पताल के पास चाय की स्टॉल लगाता है। एक प्रकरण में पुलिस के कहने पर उसने हरजी के अनपढ होने से उसके बोले अनुसार लिखित जवाब पेश किया था, जो प्रदर्श पी–07 पर अंकित है, जिसका ए से बी उसकी कलमी व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त जवाब में हरजी ने उसे बताया कि वह अनपढ है, लिख नहीं सकता। प्रेम सिंह चौहान सरपंच से प्लाट का प्रमाण पत्र उसने जला दिया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि यह जवाब उसने पुलिस के कहने पर लिखा था। वह हरजी को पहले से नहीं जानता था। यह सही है कि हरजी उक्त प्रकरण में मुलजिम था, उसकी उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि उसकी होटल पर उस वर्ष पुराना पुष्कर थाना चलता था तथा पुलिस के कर्मचारी व अधिकारी चाय पीने वहीं आया करते थे, इसलिए उन्होंने उससे हरजी का जवाब लिखवा लिया। उसे उक्त प्रकरण में हरजी के द्वारा किये गये किसी भी कार्य की जानकारी नहीं है।

साक्षी **पीडब्ल्यू 08 राजवीर सिंह** ने शपथ पर कथन किए कि वह दिनांक 15.02.2011 को गनाहेड़ा में पटवारी के पद पर कार्यरत था उस रोज अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना पुष्कर की तहरीरी पर रामनिवास एएसआई पुलिस थाना पुष्कर के साथ वह ग्राम गनाहेडा के आबादी में स्थित विवादित मकान पर जाकर उसका मौका देखा था। उक्त विवादित मकान राजस्व मानचित्र के अनुसार गनाहेड़ा के खसरा नंबर 1912 रकबा 22 बीघा साढे दस बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी जमाबंदी में खाता नंबर 1 सिवाय चक में आबादी भूमि में दर्ज है। मौके पर मकान निर्मित था जिस पर उसके द्वारा मौके पर ही गवाहान व रामनिवास एएसआई के समक्ष मौका पर्चा बनाया जो प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी उसकी मौका पर्चा रिपोर्ट व सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ रामनिवास एएसआई व जी से एच, आई से जे उपस्थित शैतान सिंह व बच्चन सिंह के हस्ताक्षर है, जिन्होंने बाद मुर्तिब मौका पर्चा उसके सामने हस्ताक्षर किये थे। साथ ही उसके द्वारा उस दिन उक्त खसरा नंबर 1912 की जमाबंदी संवत 2041 ग्राम गनाहेड़ा की जारी की गयी जो कि प्रदर्श पी–9 है जिस पर भी ए से बी सत्यापित कर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त जमाबंदी अनुसार विवादित स्थल गैर मुमकिन आबादी में निर्मित था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि उसने उक्त तथ्य रिकॉर्ड के आधार पर बताये थे। यह कहना सही है कि विवादित निर्मित मकान किसका था, किसके द्वारा बनाया गया था, इस बाबत उसे कोई जानकारी नहीं है, ना ही उसे साथ गये रामनिवास एएसआई ने बताया था।

साक्षी **पीडब्ल्यू 09 राजाराम** ने शपथ पर कथन किए कि वह दिनांक 26.12.2010 को पुलिस थाना पुष्कर पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था, उस रोज अनुसंधान अधिकारी रामपाल एएसआई ने मुकदमा नंबर 138/10 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में उसके और महावीर प्रसाद गवाहान के समक्ष मुलजिम हरजी पुत्र नाथू व प्रेम सिंह चौहान पुत्र लल्लू सिंह चौहान को पृथक पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया

authentication document

था, जिनकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–10 व पी–11 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी महावीर के हस्ताक्षर व ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर हैं, जिन्होने फर्द पर उसके सामने हस्ताक्षर किये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि मुताबिक प्रदर्श पी–10 व 11 अनुसार मुलजिम को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था, स्थान का फर्द पर अंकन नहीं है, अजखुद कहा कि थाने पर गिरफ्तार किया था। यह कहना सही है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मुलजिमान थाने पर स्वयं आये थे या अनुसंधान अधिकारी उन्हें पकडकर लाये थे। यह कहना सही है कि वह पहले से मुलजिमान को नहीं जानता था। यह कहना सही है कि मुलजिमान के नाम की जानकारी उसे अनुसंधान अधिकारी के बताने पर ही हुई थी।

साक्षी **पीडब्ल्यू 10 रामपाल** ने शपथ पर कथन किए कि वह दिनांक 01.09.2010 को पुलिस थाना पुष्कर पर एएसआई के पद पर पदस्थापित था उस रोज श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में परिवादी चिरंजीलाल और औंकार द्वारा पेश किया गया इस्तगासा धारा 420, 467, 468, 471, 474, 120बी भारतीय दण्ड संहिता का रिपोर्ट दर्ज कर वास्ते अनुसंधान जरिये डाक एसएचओ चेनाराम को प्राप्त हुआ, जिस पर एसएचओ द्वारा इस्तगासा पर ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रकरण धारा 420, 467, 468, 471, 474, 120बी भारतीय दण्ड संहिता मुकदमा नं 138/10 में दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया। इस्तगासा तहरीरी प्रदर्श पी–1 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी एसएचओ चेनाराम के हस्ताक्षर है, जिस पर उसके द्वारा दौराने अनुसंधान गवाहान चिरंजीदास उर्फ चिरंजीलाल, औंकार दास, श्रीमती बादामी देवी, राजेश भोगावत, मांगीलाल, अमरचंद, श्यामसुंदर वैष्णव के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये तथा मांगीलाल, राजेश भोगावत एवं बादामी देवी के तितम्बा बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। दौराने अनुसंधान ग्राम पंचायत गनाहेड़ा के ग्रामसेवक व पदेन सचिव से खसरा नंबर 1912 के संबंधित प्लॉट का सरपंच द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में सूचना/रिपोर्ट ली जाकर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी–12 है जिस पर ए से बी ग्राम सचिव के हस्ताक्षर व सील है तथा सी से डी उनकी रिपोर्ट है। दौराने अनुसंधान मुलजिम हरजी पुत्र नाथू व प्रेम सिंह चौहान पुत्र लालू सिंह चौहान को पृथक पृथक महावीर प्रसाद व राजाराम गवाहन के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारियां प्रदर्श पी–10 व पी–11 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुलजिम हरजी द्वारा आईओ को स्वेच्छा से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इतला दी की उसने ग्राम गनाहेड़ा में ठाकुर जी मंदिर के पास जो प्लॉट है, जिसका स्वामित्व प्रमाण पत्र सरपंच प्रेम सिंह से बनाया था तथा शंकर को बेचान कर रजिस्ट्री करवायी थी, उसका मूल स्वामित्व प्रमाण पत्र उसके पास ही था और उसे शिकायत का पता चलने पर उसने उसे जलाकर नष्ट कर दिया था। धारा 27 की इतला प्रदर्श पी–13 है जिस पर ए से बी इतला, सी से डी मुलजिम हरजी के हस्ताक्षर व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान खसरा नं 1912 में प्रकरण का संबंधित मकान के संबंध में मौका पर्चा पटवारी गनाहेड़ा से गवाहन के समक्ष व उसकी मौजूदगी में निरीक्षण कर मौका पर्चा तैयार किया जो

authentication document

उसके द्वारा शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी–8 है जिस पर सी से डी पटवारी, आई से जे, जी से एच गवाहन व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं, ए से बी मौका पर्चा रिपोर्ट है। पटवारी गनाहेड़ा से विवादित खसरा नंबर की जमाबंदी ली जाकर शामिल पत्रावली की, जो प्रदर्श पी–9 है जिस पर ए से बी सत्यापित कर पटवारी के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान आरोपी प्रेम सिंह चौहान से प्रमाण पत्र में लिखावट के संबंध में नोटिस देकर उसका जवाब लेकर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी–14 है जिस पर ए से बी उसका नोटिस व सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ आरोपी प्रेम सिंह का उसकी लिखावट में उसका जवाब व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान आरोपी हरजी को असल प्रमाण पत्र पेश करने हेतु उसके द्वारा 91 सीआरपीसी का नोटिस दिया गया जो प्रदर्श पी–15 है। ए से बी उसका नोटिस सी से डी उसके हस्ताक्षर है, जिसके पृष्ठ भाग पर ई से एफ मुलजिम हरजी के साथ आये गिरधारी की हस्तलिखित में हरजी का जवाब की जो प्रमाण पत्र उसने प्रेम सिंह सरपंच से बनाया था। प्लॉट का बेचान करने के बाद में रजिस्ट्री की शिकायत होने पर जलाकर नष्ट कर दिया, ई से एफ जवाब जो कि आरोपी हरजी ने अपने साथ लाये गवाह गिरधारी वैष्णव से लिखाया व जी से एच मुलजिम हरजी के हस्ताक्षर है तथा इस संबंध में गिरधारी द्वारा जवाब लिखने के संबंध में लिखकर उसे दिया जो प्रदर्श पी–7 है जिस पर ए से बी गिरधारी द्वारा हरजी के जवाब लिखने के संबंध में जवाब तथा सी से डी गिरधारी के हस्ताक्षर है एवं ई से एफ हरजी के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान ग्रामसेवक ग्राम पंचायत गनाहेडा से खसरा नंबर 1912 के संबंध में सूचना जो प्रदर्श पी–15 है जिस पर ए से बी ग्रामसेवक का जवाब एवं सी से डी ग्रामसेवक के सील एवं हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान ग्रामसेवक से कैशबुक तथा कैशबुक की प्रमाणित प्रति दी जाकर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी–16 है जिस पर ए से बी ग्रामसेवक के मय सील हस्ताक्षर है, जिसमें पूर्व सरपंच द्वारा किये गये खर्चे का अंकन है। दौराने अनुसंधान ग्रामसेवक ग्राम पंचायत गनाहेड़ा से ग्रामसभा बैठक पंचायत गनाहेड़ा व बैठक की कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति ली जाकर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी–17 से लगायत प्रदर्श पी–21 है जिस पर ए से बी ग्रामसेवक की प्रमाणित प्रति हस्ताक्षर जिनको उसके द्वारा शामिल पत्रावली किया और हरजी द्वारा शंकर को की गई रजिस्ट्री की प्रमाणित पंजीयन पीसांगन से ली जाकर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी–22 है जिस पर ए से बी उपपंजीयन के हस्ताक्षर मय सील है। साथ ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो हरजी द्वारा रजिस्ट्री के समय पेश किये गये थे जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि ली जाकर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी–23 लगायत पी–28 है जिन पर ए से बी उपपंजीयन के हस्ताक्षर है। उसके संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम हरजी पुत्र नाथु के विरूद्ध अपराध धारा 420, 201, 120बी, भारतीय दण्ड संहिता एवं मुलजिम प्रेम सिंह के विरूद्ध अपराध धारा 420, 120बी, 167 भारतीय दण्ड संहिता में प्रमाणित पाये जाने पर चालान हेतु पत्रावली एसएचओ दिनेश कुमावत को सुपुर्द की जिन्होंने बाद अवलोकन अनुसंधान पत्रावली उपरोक्त मुलजिमान के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में ही चार्जशीट की जाकर चालान न्यायालय में पेश किया। चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी एसएचओ दिनेश कुमावत के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि असल स्वामित्व प्रमाणपत्र

उसके द्वारा जब्त नहीं किया जा सकता, इसलिए शामिल पत्रावली नहीं किया जा सका। यह कहना सही है कि उसके द्वारा आरोपीगण की नमूना हस्ताक्षर है एवं नमूना लिखावट नहीं ली गई। यह कहना सही है कि उसने कोई दस्तावेज जांच हेतु एफएसएल नहीं भेजा। यह कहना सही है कि उसने आरोपी हरजी के कहे अनुसार असल दस्तावेज के नष्ट होना अनुसंधान में माना है। यह कहना सही है कि ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में कोई इन्द्राज नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त दस्तावेज पंजीयन अधिकारी के समक्ष पेश किये जाने बाबत उप–पंजीयक अधिकारी के बयान नहीं लिये। यह कहना सही है कि परिवाद प्रदर्श पी–1 में परिवादी चिरंजीलाल द्वारा प्रेमसिंह को आरोपी नहीं बनाया था। यह कहना सही है कि प्रेमसिंह को उसके द्वारा आरोपी हरजी के कहने पर आरोपी माना। उक्त प्रकरण के संबंध में कोई सिविल मुकदमा चल रहा हो तो इस संबंध में ना ही अनुसंधान किया और ना ही उसे इस संबंध में जानकारी है। यह कहना सही है कि आरोपी हरजी अनपढ है, लेकिन वो पढना लिखना जानता है। यह कहना गलत है कि उसने गलत अनुसंधान करके मुलजिमान के विरूद्ध गलत चालान पेश किया हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू 11 दिनेश कुमावत** ने शपथ पर कथन किए कि मुकदमा नंबर 138/2010 पीएस पुष्कर की अनुसंधान पत्रावली अनुसंधान अधिकारी रामपाल एएसआई द्वारा मुलजिम हरजी रावत के विरूद्ध धारा 420, 120बी, 201 भारतीय दण्ड संहिता एवं मुलजिम प्रेम सिंह के विरूद्ध 420, 120बी, 167 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित मानते हुए चालान हेतु पत्रावली उसे सुपुर्द की, जिस पर उसके द्वारा बाद अवलोकन अनुसंधान पत्रावली उपरोक्त मुलजिमानों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में चार्जशीट किता कर चालान न्यायालय में पेश किया। चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि उसके द्वारा उक्त प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया गया।

साक्षी **पीडब्ल्यू 12 श्यामसुन्दर वैष्णव** ने शपथ पर कथन किए कि दिनांक 12.05.2009 को वह पीसांगन तहसील में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था, उस रोज ग्राम गनाहेड़ा निवासी हरजी पुत्र नाथु रावत ने एक प्रार्थना पत्र मय घोषणा पत्र, मय राशन कार्ड की प्रति तथा एक स्वामित्व प्रमाण पत्र ग्राम गनाहेड़ा की आबादी भूमि पर भूखण्ड की फोटो प्रति पेश करके प्लॉट का बेचाननामा हेतु तहसीलदार साहब पीसांगन को निवेदन किया। स्वामित्व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गनहेड़ा के सरपंच द्वारा दिनांक 22.03.2004 का जारी किया हुआ था, जिस पर सरपंच प्रेम सिंह चौहान के हस्ताक्षर व सील अंकित थी उसी के आधार पर उक्त प्लॉट की रजिस्ट्री तहसील पीसांगन में हरजी से शंकर के नाम दिनांक 12.05.2009 को पंजीयन दर्ज किया गया था, जिस पर तहसीलदार रामकुमार के हस्ताक्षर है। पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–26 पर सी से डी रामकुमार तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, इसके साथ घोषणा पत्र भी पेश किया गया था तथा इसी आधार पर हरजी से शंकर के नाम 12.05.2009 को पंजीयन दर्ज किया गया था। जिसकी रजिस्ट्री प्रदर्श पी–22 है जिस पर भी सी से डी रामकुमार तहसीलदार के हस्ताक्षर है, जिनके साथ काम करने की वजह से उनके हस्तलेख, हस्ताक्षर वह पहचानता है। रजिस्ट्री का कार्यालय रिकॉर्ड पुस्तक संख्या 1, जिल्द

संख्या 26 तथा क्रम संख्या 914/09 पर पृष्ठ संख्या 14 पर इंद्राज है यह रजिस्ट्री हरजी रावत द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वामित्व प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र व प्रार्थना पत्र के आधार पर नियमानुसार की गयी थी, अगर स्वामित्व प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी नहीं किया गया था इसकी जिम्मेदारी सरपंच व पक्षकारों की थी उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री की थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह वर्ष 2007 से 2018 तक पीसांगन तहसील में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–22 उसके समक्ष पेश नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–26 व 27 भी उसके समक्ष पेश नहीं किये गये थे। उसने इन कागजों पर रिपोर्ट तहसीलदार के आदेशानुसार ही की थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 22, 26 व 27 पर हस्ताक्षर हो रखे हो, वह हस्ताक्षर उसके समक्ष नहीं हुए।

साक्षी **पीडब्ल्यू 13 महावीर** ने शपथ पर कथन किए कि वह दिनांक 26.12.2010 को पुलिस थाना पुष्कर पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था उस रोज अनुसंधान अधिकारी रामपाल एएसआई ने उसके व राजाराम गवाहान के समक्ष मुलजिम हरजी व प्रेम सिंह चौहान को मुकदमा नंबर 138/10 धारा 420, 467, 471, 474, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में पृथक पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया था जिनकी फर्द गिरफ्तारियां प्रदर्श पी–10 व पी–11 है जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा उक्त गवाह से कोई जिरह नहीं की गई।

12– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादी चिरंजीलाल और औंकारदास द्वारा एक परिवाद प्रदर्श पी–03 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर के समक्ष पेश पर हुआ, जिसके माध्यम से परिवादीगण ने कथन किया कि परिवादीगण व उसके परिवार ग्राम गनाहेडा में अपने पूर्वजों के समय से परिवाद की पद संख्या 1 में वर्णित संपत्ति में स्थाई रूप से निवास करते आ रहे है, परन्तु आरोपी संख्या 1 हरजी व आरोपी संख्या 2 शंकर ने एक मिथ्या व फर्जी प्रमाणपत्र उक्त संपत्ति को हडपने की नीयत से बनाकर कूटरचना की और आरोपी संख्या 3 शंकरसिंह व आरोपी संख्या 4 सांवरसिंह को यह जानकारी होते हुए कि उक्त संपत्ति परिवादी व उसके पूर्वजों की कब्जेशुदा संपत्ति है तथा आरोपीगण की नहीं है, फिर भी बतौर साक्षी के रूप में पहचान व क्रेता विक्रेता की पहचान करते हुए साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर किये। आरोपीगण ने परिवादीगण के उक्त पडौस व सीमाओं के के मध्य स्थित संपत्ति व बाडे के लिए दिनांक 12.05.2009 को कूटरचित दस्तावेज के आधारपर पंजीकृत बेनामा में उक्त संपत्ति में स्वयं का मालिक होना व कब्जा होना मिथ्या व कूटरचित रूप से अंकित किया। दिनांक 22.03.2004 के कूटरचित प्रमाणपत्र में भी स्वामित्व का फर्जी अंकन कर परिवादीगण की उक्त संपत्ति को हडपने का प्रयास किया। आरोपीगण ने परिवादीगण व उसके परिवार को दिनांक 22.03.2004 के फर्जी व कूटरचित प्रमाणपत्र के आधार पर बेदखल कर जबरन कब्जा कर निर्माण करने की धमकी दी, जिस पर परिवादीगण ने बेनामा और प्रमाणपत्र की जानकारी कर नकलें प्राप्त की तो पता चला कि दिनांक 22.03.2004 को हरजी के प्रमाणपत्र व उक्त बाबत पत्रावली के संबंध में गनाहेडा ग्राम पंचायत

कार्यालय में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था, जिससे भी दिनांक 22.03.2004 को हरजी के पक्ष में बनाया गया प्रमाणपत्र कूटरचित प्रकट होता है। आरोपी संख्या 3 शंकरसिंह ने पुनः बेनामा के आधार पर उक्त संपत्ति आरोपी संख्या 5 बस्ताराम को बेच दी। उक्त परिवाद को न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत अनुसंधान हेतु पुलिस थाना पुष्कर को प्रेषित किया गया, जिस पर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण हरजी के विरूद्ध धारा 120–बी, 201 व 420 भारतीय दण्ड संहिता में एवं अभियुक्त प्रेमसिंह के विरूद्ध धारा 120–बी, 167 व 420 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र प्रस्तुत हुआ।

13– इस प्रकार हरजी के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने सह अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 12.05.2009 को परिवादीगण की ग्राम गनाहेडा में उनके पूर्वजों के समय से स्थित मकान, जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में ठाकुरजी महाराज का मंदिर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में कुन्दर राजपूत का बाडा व मकान है, को आपराधिक षडयंत्र रचकर षडयंत्रपूर्वक फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कर विक्रय पत्र बस्ताराम के नाम उप–पंजीयक, पीसांगन के यहां पंजीयन कराया, जबकि इस प्रकार से स्वयं को दोषपूर्ण लाभ पहुंचाने एवं परिवादीगण को दोषपूर्ण हानि पहुंचाने की नीयत से परिवादीगण के साथ छल करते हुए उक्त दस्तावेज अपने पक्ष में निष्पादित करवाया तथा हरजी द्वारा फर्जी तरीके से तैयार करवाए मूल स्वामित्व प्रमाणपत्र दिनांक 27.12.2010 से पूर्व किसी समय आग में जलाकर नष्ट करके साक्ष्य को विलोपित करने का आपराधिक षडयंत्र कारित किया। इसी भांति का आरोप अन्य अभियुक्त प्रेमसिंह के विरूद्ध भी है, परन्तु अभियुक्त प्रेमसिंह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के तहत आरोप नहीं होकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 167 के तहत यह आरोप है कि अभियुक्त प्रेमसिंह ने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर परिवाद में वर्णित संपत्ति को सरपंच के पद पर रहते हुए दिनांक 22.03.2004 को हरजी पुत्र नाथू को मिथ्या प्रमाणपत्र जारी कर पद का दुरूपयोग किया।

14– अभियोजन पक्ष ने अपनी उक्त कहानी को साबित करने के लिए जिन गवाहान को परीक्षित करवाया, उनमें प्रकरण का परिवादी औंकारदास न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा प्रस्तुत परिवाद में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की और अपने कथनों के समर्थन में स्वयं द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी–1 प्रदर्शित करवाया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि मंदिर निजी है, सार्वजनिक नहीं है। उक्त मंदिर व इसकी संपत्ति के स्वामित्व के कोई दस्तावेज नहीं है। साथ ही स्वीकार किया कि इस संपत्ति बाबत उसने दो दावे कर रखे है। साथ ही स्वीकार किया कि उक्त प्लॉट पर बस्ताराम मकान बनाकर रह रहा है। उसने तथाकथित स्वामित्व प्रमाणपत्र कभी नहीं देखा। पुलिस ने वादग्रस्त बाडे का नक्शा मौका नहीं बनाया। परिवाद के पद संख्या 6 में जिस प्रमाणपत्र का हवाला है, वह प्रमाणपत्र उसने कभी नहीं देखा, ना ही उससे संबंधित दस्तावेज देखे। साथ ही स्वीकार किया कि उक्त परिवाद व सिविल वाद पेश करने से पूर्व बस्ताराम ने निर्माण कार्य कर लिया था। वह शंकर व सांवरलाल को नहीं जानता। प्रदर्श पी–1 में ये नाम क्यों लिखे, उसे नहीं पता। प्रदर्श पी–1 परिवाद में प्रेमसिंह का नाम नहीं लिखवाया था, ना ही उस पर कोई आक्षेप लगाये थे। साथ ही इस सुझाव को

अस्वीकार किया कि परिवाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित सीमाओं के मध्य का भूखण्ड उसके ना हो, परन्तु यह स्वीकार किया कि इसके स्वामित्व के कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है। इसी प्रकार प्रकरण का अन्य परिवादी चिरंजीलाल पीडब्लयू–2 ने भी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों में परिवाद प्रदर्श पी–1 में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–1 में प्रेमसिंह का नाम नहीं है, जिस मंदिर को वह अपना बता रहा है, उसके दस्तावेज उसके पास नहीं है। विवादित बाडे के स्वामित्व बाबत भी कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है। साथ ही स्वीकार किया कि उक्त संपत्ति बाबत उन्होंने दो दावे कर रखे है। यह भी स्वीकार किया कि विवादित भूखण्ड पर बस्ताराम मकान बनाकर निवास कर रहा है। वह जिस संपत्ति प्रमाणपत्र के बारे में बता रहा है, उसने उसे कभी नहीं देखा। वह शंकर व सांवरलाल को नहीं जानता। प्रदर्श पी–1 में शंकर व सांवरलाल के नाम क्यो लिखाए वह नहीं जानता। प्रदर्श पी–1 उसके चाचा के लडके दिनेश के कहे अनुसार लिखाया गया था। इस प्रकार प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह जो प्रकरण के परिवादीगण भी है, अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे है कि जिस संपत्ति बाबत हस्तगत परिवाद पेश किया गया, उसके स्वामित्व के दस्तावेज उनके पास नहीं है। साथ ही यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि विवादित संपत्ति पर बस्ताराम मकान बनाकर निवास कर रहा है।

15– आगे अन्य गवाह मांगीलाल पीडब्ल्यू–3 ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उनके ग्राम गनाहेडा में ठाकुरजी के मंदिर के पास एक खाली प्लॉट था, जो सार्वजनिक संपत्ति थी। उक्त प्लॉट पर ग्राम पंचायत के अनुसार प्रेमसिंह चौहान ने हरजी के साथ मिलीभगत करते हुए हरजी के नाम स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी किया और धोखाधडी की, परन्तु अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि उसने ग्राम पंचायत का कोई रिकॉर्ड व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा। इस प्रकार यद्यपि उक्त साक्षी मौखिक रूप से तो कथन करता है कि प्रेमसिंह व हरजी ने मिलकर फर्जी स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी किया, परन्तु उक्त स्वामित्व प्रमाणपत्र बाबत कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य उक्त गवाह द्वारा पेश नहीं की गई।

16– आगे गवाह बदामीदेवी पीडब्ल्यू–4 व राजेश भोगावत पीडब्ल्यू–5 पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन की लैशमात्र भी सहायता नहीं करते है। अन्य गवाह चेनाराम पीडब्ल्यू–6 परिवाद प्रदर्श पी–1 पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी–6 जारी करने बाबत औपचारिक साक्ष्य देता है।

17– अन्य गवाह गिरधारी पीडब्ल्यू–7 ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि एक प्रकरण में पुलिस के कहने पर उसने हरजी के अनपढ होने से उसके बोले अनुसार लिखित जवाब पेश किया, जो प्रदर्श पी–7 है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह स्वीकार करता है कि उसने यह जवाब पुलिस के कहने पर लिखा था। उसे हरजी के किसी कार्य की जानकारी नहीं थी। इस न्यायालय के विनम्र मत में उक्त गवाह के बयान से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

18– अन्य गवाह राजवीरसिंह पीडब्लयू–8, जो ग्राम गनाहेडा में पटवारी के पद पर कार्यरत था, ने विवादित मकान राजस्व मानचित्र के अनुसार गनाहेडा के खसरा नंबर 1912

रकबा 22 बीघा साढे दस बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी जमाबंदी में खाता संख्या 1 सिवाय चक में आबादी भूमि में दर्ज होने बाबत साक्ष्य दी है एवं स्वयं के सामने नक्शा मौका प्रदर्श पी–8 बनाने तथा उक्त खसरा नंबर 1912 की जमाबंदी प्रदर्श पी–9 जारी करने बाबत औपचारिक साक्ष्य दी है। साक्ष्य के इसी कडी में गवाह राजाराम पीडब्ल्यू–9 व गवाह महावीर पीडब्ल्यू–13 ने अभियुक्तगण हरजी व प्रेमसिंह चैहान के फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–10 व 11 बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है।

19– आगे उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी रामपाल पीडब्ल्यू–10 ने स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान बाबत विस्तृत सकारात्मक साक्ष्य दी है एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि असल स्वामित्व प्रमाणपत्र उसके द्वारा जब्त नहीं किये जा सके। ना ही उसने आरोपीगण के नमूना हस्ताक्षर व नमूना लिखावट ली है। साथ ही यह स्वीकार किया कि उसने कोई भी दस्तावेज जांच हेतु एफएसएल हेतु नहीं भेजा है। उसने प्रेमसिंह को हरजी के कहने पर आरोपी माना था। आगे दिनेश कुमार पीडब्ल्यू–11 ने आरोपपत्र प्रस्तुत करने बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है।

20– अंत में गवाह श्यामसुन्दर पीडब्ल्यू–12 ने कथन किया कि दिनांक 12.05.2009 को ग्राम गनाहेडा, निवासी हरजी पुत्र नाथू ने आबादी भूमि पर भूखण्ड की फोटोप्रति पेश कर प्लॉट का बेचाननामा हेतु तहसीलदार पीसांगन को निवेदन किया गया। स्वामित्व प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत गनाहेडा के सरपंच द्वारा दिनांक 22.03.2004 का जारी किया गया था, जिस पर सरपंच प्रेमसिंह के हस्ताक्षर थे, जिसके आधार पर प्लॉट की रजिस्ट्री तहसीलदार पीसांगन में हरजी से शंकर के नाम दर्ज की गई, जो रजिस्ट्री प्रदर्श पी–22 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–22 उसके सामने पेश नहीं हुई, ना ही प्रदर्श पी–26 व 27 उसके सामने पेश हुई।

21– न्यायालय पुनः यह वांछनीय समझता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 28 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये, जिनका अवलोकन किया गया। प्रदर्श पी–1 परिवाद है। प्रदर्श पी–2 लगायत प्रदर्श पी–5 भिन्न–भिन्न गवाह के अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध किये गये कथन है। प्रदर्श पी–6 प्रथम सूचना रिपोर्ट है। प्रदर्श पी–7 जवाब नोटिस धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता है। प्रदर्श पी–8 मौका पर्चा है। प्रदर्श पी–9 जमाबंदी खतोनी ग्राम गनाहेडा है, जिसके कॉलम संख्या 4 काश्तकार का नाम मय पिता का नाम तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू–धृति का स्वरूप में लाल स्याही से ''निवास स्थान तथा बस्तिया आबादी भूमि'' लिखा हुआ है। प्रदर्श पी–10 व 11 अभियुक्तगण के फर्द गिरफ्तारी है। प्रदर्श पी–12 ग्राम पंचायत गनाहेडा को प्रेषित पत्र है, जो खसरा नंबर 1912 से संबंधित है। साथ ही उक्त दस्तावेज में यह भी लिखा हुआ है कि सरपंच को स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं है, सरपंच द्वारा दिनांक 22.03.2004 को स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी किया गया है, इस दिनांक को पंचायत रिकॉर्ड में किसी तरह की बैठक एवं ग्राम सभा नहीं हुई है, इसलिए यह नियमानुसार जारी किया हुआ नहीं है, हरजी पुत्र नाथू को जारी प्रमाणपत्र के संबंधी ग्राम पंचायत ने कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। प्रदर्श पी–13 धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की अभियुक्त हरजी द्वारा दी गई इत्तला है। प्रदर्श पी–14 प्रेमसिंह को प्रेषित पत्र है, जिसके जवाब

authentication document

में प्रेमसिंह द्वारा यह लिखा गया कि ''प्रमाणपत्र जारी किया, उस पर लिखावट मेरे द्वारा लिखा गया है।'' प्रदर्श पी–15 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत हरजी को दिया गया नोटिस है। प्रदर्श पी–15 ग्राम पंचायत गनाहेडा द्वारा पुलिस थाना पुष्कर को संबोधित पत्र है। प्रदर्श पी–16 कैशबुक है एवं प्रदर्श पी–17 लगायत प्रदर्श पी–21 बैठक की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति है। प्रदर्श पी–22 रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति है, जिसमें लेख्यकर्ता के रूप में हरजी का नाम व लेख्यगृहीता के रूप में शंकर का नाम अंकित है। उक्त संपत्ति के दोनों पृष्ठों पर संदर्भ में यह अंकित है कि उक्त आबादी प्लॉट का प्रमाणपत्र सरपंच ग्राम पंचायत गनाहेडा द्वारा दिनांक 22.03.2004 को विक्रेता के नाम जारी किया गया है। प्रदर्श पी–23 प्रमाणपत्र है। प्रदर्श पी–24 हरजी द्वारा उपपंजीयक को संबोधित पत्र है। प्रदर्श पी–26 राजस्थान सरकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को संबोधित पत्र है। प्रदर्श पी–27 घोषणापत्र है एवं प्रदर्श पी–28 रजिस्ट्री के समय पेश किये गये दस्तावेजात है।

22– इस न्यायालय के विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त प्रेमसिंह पर यह आरोप है कि उसके द्वारा प्रदर्श पी–23 प्रमाणपत्र कूटरचित तरीके से जारी किया गया है। प्रदर्श पी–23 प्रेमसिंह ने ही जारी किया हो, इस बाबत कोई एफएसएल रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की ओर से पेश नहीं की गई है। विवादित संपत्ति परिवादीगण की हो, इस बाबत भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से पेश नहीं की गई है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में यह प्रकट होता है कि प्रकरण के परिवादी औंकारदास पीडब्ल्यू–1 व चिरंजीलाल पीडब्ल्यू–2 के अतिरिक्त किसी भी गवाह ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। यद्यपि पीडब्ल्यू–3 मांगीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी का समर्थन किया, परन्तु प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि उसने ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। न्यायालय यह भी लिखना वांछनीय समझता है कि परिवादी की तरफ से विवादित संपत्ति के स्वामित्व बाबत कोई ठोस दस्तावेज अभियोजन पक्ष ने पेश नहीं किये। साथ ही कूटरचित दस्तावेज प्रदर्श पी–23 पर प्रेमसिंह के हस्ताक्षर हो, इस बाबत भी कोई एफएसएल रिपोर्ट अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत नहीं हुई। इसके अतिरिक्त प्रकरण में भिन्न न्यायालयों में सिविल प्रकृति के दावे भी लंबित होना प्रकट हुआ है। परिवादी स्वयं विवादित भूमि पर बतौर स्वामित्व काबिज हो, इस बाबत भी कोई ठोस स्वतंत्र साक्ष्य परिवादी की ओर से पेश नहीं की गई है।
ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी के समर्थन में जिन मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को पेश किया है, उनके सूक्ष्म अवलोकन से अभियोजन की कहानी संदेह के बादलों से आच्छादित हो जाती है।

23– सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा कि अभियुक्त हरजी ने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए दिनांक 12.05.2009 को परिवादीगण की ग्राम गनाहेडा में उनके पूर्वजों के समय से स्थित मकान, जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में ठाकुरजी महाराज का मंदिर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में कुन्दर राजपूत का बाडा व मकान है, को आपराधिक षडयंत्र रचकर षडयंत्रपूर्वक फर्जी

प्रमाणपत्र तैयार कर विक्रय पत्र बस्ताराम के नाम उप–पंजीयक, पीसांगन के यहां पंजीयन कराया, जबकि इस प्रकार से अभियुक्त ने अपने आपको दोषपूर्ण लाभ पहुंचाने व परिवादी को दोषपूर्ण हानि पहुंचाने की नीयत से परिवादी के साथ छल करते हुए उक्त दस्तावेज अपने पक्ष में निष्पादित करवाया और फर्जी तरीके से तैयार करवाया गया मूल स्वामित्व प्रमाणपत्र दिनांक 27.12.2010 से पूर्व किसी समय आग में जलाकर नष्ट करके साक्ष्य को विलोपित करने का अपराध किया। अभियुक्त प्रेमसिंह ने अन्य अभियुक्त हरजी के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए दिनांक 12.05.2009 को परिवादीगण की ग्राम गनाहेडा में उनके पूर्वजों के समय से स्थित मकान, जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में ठाकुरजी महाराज का मंदिर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में कुन्दर राजपूत का बाडा व मकान है, को आपराधिक षडयंत्र रचकर षडयंत्रपूर्वक फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कर विक्रय पत्र बस्ताराम के नाम उप–पंजीयक, पीसांगन के यहां पंजीयन कराया, जबकि इस प्रकार से अभियुक्त ने अपने आपको दोषपूर्ण लाभ पहुंचाने व परिवादी को दोषपूर्ण हानि पहुंचाने की नीयत से परिवादी के साथ छल करते हुए उक्त दस्तावेज अपने पक्ष में निष्पादित करवाया और हरजी के साथ मिलकर उपरोक्त वर्णित संपत्ति को सरपंच के पद पर रहते हुए दिनांक 22.03.2004 हरजी पुत्र नाथू रावत को मिथ्या स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी कर पद का दुरूपयोग किया। फलतः अभियुक्तगण हरजी पुत्र नाथू, निवासी ग्राम गनाहेड़ा, पुलिस थाना पुष्कर, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 120–बी, 201 व 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से तथा अभियुक्त प्रेमसिंह पुत्र लल्लूसिंह, निवासी ग्राम गनाहेड़ा, पुलिस थाना पुष्कर, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 120–बी, 167 व 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

24– परिणामतः अभियुक्त हरजी पुत्र नाथू, निवासी ग्राम गनाहेड़ा, पुलिस थाना पुष्कर, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 120–बी, 201 व 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से तथा अभियुक्त प्रेमसिंह पुत्र लल्लूसिंह, निवासी ग्राम गनाहेड़ा, पुलिस थाना पुष्कर, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 120–बी, 167 व 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से संदेह का लाभ का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया जाता है। अभियुक्तगण के हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझे जावें।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र

25– निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र

DHARMENDRA KUMAR RATHORE
Digitally signed by DHARMENDRA KUMAR RATHORE

authentication document